प्रतिलिपि आदेश दिनांक 29–2–16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 743–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–6–14 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 331/अ–21/13–14.

———

दददी कोल आत्मज स्व. भग्गी कोल
निवासी लक्ष्मी वेयर हाउस,
चंचला बाई कॉलेज के सामने
राईट टाउन जबलपुर म0प्र0
हॉल मुकाम ग्राम शहपुरा
जिला डिंडोरी म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल आत्मज छोटेलाल अग्रवाल,
निवासी दया नगर यादव कॉलोनी,
जबलपुर म0प्र0 ——— अनावेदक

———

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 743-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.2.16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 331/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 2-6-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 02-6-14 के विरूद्ध पेश की गई जो विलंब से प्रस्तुत है । विलंब के संबंध में यह आधार लिया गया है कि आवेदक को एवं उनके अधिवक्ता को आलोच्य आदेश की कोई जानकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई इस कारण निगरानी पेश करने में विलंब हुआ है जो सद्भाविक है । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं का अवलोकन किया गया आदेश पत्रिका दिनांक 28-5-14 के अनुसार प्रकरण आदेश हेतु रखा गया है और कोई तिथि नहीं दी गई है इसके उपरांत आलोच्य आदेश दिनांक 2-6-14 को पारित किया गया है । आलोच्य आदेश की जानकारी दिया जाना भी आदेश पत्रिकाओं से नहीं पाया जाता है ऐसी स्थिति आवेदक के तर्कों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अतः आवेदक द्वारा बताए गए विलंब के आधार सद्भाविक मान्य करने हेतु विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है । अतः विलंब क्षमा किया जाता है । जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें उसके द्वारा ग्राम रिछाई प.ह.नं. 57/89 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील एवं जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 310 रकबा 0.510 हैक्टर भूमि को अनावेदक को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । कलेक्टर द्वारा इस आधार पर आवेदक का	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदन निरस्त किया गया है कि उसके पास संहिता की धारा 165 के प्रावधानों में उल्लखित अनुसार भूमि शेष नहीं बच रही है । इस संबंध में आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि विक्रय की जा रही भूमि उसके द्वारा वर्ष 2010 में क्रय की गई है और वर्तमान में वह शहपुरा जिला डिंडोरी में स्थित है । प्रश्नाधीन भूमि उनके वर्तमान निवास से काफी दूरी पर स्थित है इस कारण वह प्रश्नाधीन भूमि की देखरेख नहीं कर पाता है इसलिए विक्रय करना चाहता है । प्रथमदृष्टया आवेदक द्वारा बताया गया आधार उचित प्रतीत होता है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है भूमि विक्रय से अपीलार्थी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति देने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम रिछाई प.ह.नं. 57/89 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील एवं जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 312 रकबा 0.720 हैक्टर भूमि को अनावेदक राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल पिता छोटेलाल अग्रवाल को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 743-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	